



**Latest  
Laws.com**

Helping Good People Do Good Things

# Bare Acts & Rules

Free Downloadable Formats

Hello Good People !



# ઝારખણ્ડ ગજટ

અસાધારણ અંક

ઝારખણ્ડ સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત

10 વૈશાખ, 1923 શકાન્દ

સંખ્યા 79

રાંચી, સોમવાર 30 અપ્રીલ, 2001

વિધિ (વિધાન) વિભાગ

ઘરિસૂચના

28 અપ્રીલ, 2001

સંખ્યા-એલ૦૩૦-૦૮/૨૦૦૧ લેજ: ૦૧—ઝારખણ્ડ વિધાન મંડલ કા નિભનિલિખિત અધિનિયમ, જિસ પર રાજ્યપાલ  
20 અપ્રીલ, 2001 કો ઘનુમતિ દે ચુકે હોય, ઇસકે દ્વારા સર્વસાધારણ કો સૂચના કે લિએ પ્રકાશિત કિયા  
જાતા હૈ।

ઝારખણ્ડ રાજ્યપાલ કે ધારેષ સે,

રામાયણ પાણ્ડેય,

સચિવ,

વિધિ (વિધાન) વિભાગ, ઝારખણ્ડ,

રાંચી।

[ઝારખણ્ડ અધિનિયમ ૦૧, ૨૦૦૧]

ઝારખણ્ડ વિધાન-મંડલ (પદાધિકારિયોં કા વેતન થીર મત્તા) અધિનિયમ, ૨૦૦૧

ઝારખણ્ડ વિધાન-મંડલ કે અધ્યક્ષ થીર ઉપાધ્યક્ષ કે વેતન થીર મત્તે કા અવધારણ કરને કે લિએ અધિનિયમ।

મારત ગણરાજ્ય કે બાવનવે વર્ષ મેં ઝારખણ્ડ વિધાન-મંડલ દ્વારા નિભનિલિખિત રૂપ મેં યહ અધિનિયમિત હો :—

## I. સંક્ષિપ્ત નામ, વિસ્તાર થીર પ્રારંભ—

- યહ અધિનિયમ ઝારખણ્ડ વિધાન-મંડલ (પદાધિકારિયોં કા વેતન થીર મત્તા) અધિનિયમ, ૨૦૦૧ કહા  
જા સકેગા।
- ઇસકા વિસ્તાર સમૂહણ ઝારખણ્ડ રાજ્ય મેં હોગા।
- યહ તુરંત પ્રવૃત્ત હોગા।

## II. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन—

1. भारखण्ड विधान-मंडल के अध्यक्ष को प्रतिमाह 3000/- (तीन हजार) रुपये की दर से वेतन का भुगतान किया जाएगा ;
2. भारखण्ड विधान-मंडल के उपाध्यक्ष को प्रतिमाह 3000/- (तीन हजार) रुपये की दर से वेतन का भुगतान किया जाएगा ;
3. भारखण्ड विधान-मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते पर देश बायकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

## III. मोटर कार खरोदने के लिए अध्यक्ष को ग्रन्थि और सवारी भत्ता का दिया जाना—

1. राज्य सरकार घारा-2 में निर्दिष्ट राज्य विधान-सभा के पदाविकारियों के उपयोग के लिए समय-समय पर मोटरकारों की खरीद और उपबंध ऐसी जर्ती पर कर सकेंगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे ;
2. घारा-2 में निर्दिष्ट राज्य विधान-मंडल का कोई पदाविकारी ऐसी रियायती दर पर और ग्रन्थि जर्ती पर प्रभार का भुगतान करके स्टॉफ कार के उपयोग करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर नियमों द्वारा अवधारित करे ।

**स्पष्टीकरण :** इस घारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “स्टाफकार” से अभिव्रेत है सरकारी प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की स्वामित्ववाली और उसके द्वारा अनुरक्षित कोई भोटरगाढ़ी ।

## IV. राज्य विधान-मंडल के पदाविकारियों को घाता और दैनिक भत्ता—

घारा-2 में निर्देशित राज्य विधान-मंडल के पदाविकारी लोक कारबाह से दौरा करने पर राज्य के अन्दर 350/- (तीन सौ पचास) रुपये एवं राज्य के बाहर दैनिक भत्ता 500/- (पाँच सौ) रुपये पाने के हकदार होंगे ।

## V. क्षेत्रीय भत्ता—

उक्त अधिनियम की घारा-2 में यथापरिभाषित राज्य विधान-मंडल का कोई पदाविकारी 4000/- (चार हजार) रुपये क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा ।

## VI. सत्कार भत्ता—

उक्त अधिनियम की घारा-2 में यथापरिभाषित विधान-सभा का कोई पदाविकारी निम्न प्रकार से सत्कार भत्ता पाने का हकदार होगा : (क) अध्यक्ष : 1000/- (एक हजार) रुपये प्रतिमाह, (ख) उपाध्यक्ष : 500 (पाँच सौ) रुपये प्रतिमाह ।

## VII. चिकित्सीय उपचार की सुविधाएँ—

घारा-2 में निर्देशित राज्य विधान-मंडल के पदाविकारी और उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्चा और दवाओं की आपूर्ति तथा अस्पतालों में वास-सुविधा के संबंध में ऐसी सुविधाओं और रियायतों के हकदार होंगे, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें ।

## VIII. अध्यक्ष का आवास—

1. भारखण्ड विधान-मंडल के अध्यक्ष बिना किराया के अपनी पूरी पदाविति तक और उसके ठीक एक महीना बाद तक रांची में तथा रांची के घलावा अन्य ऐसे स्थान में भी, जहाँ विधान-मंडल का सत्र होता हो, सुसज्जित आवास का उपयोग करने के हकदार होंगे ।
2. ऐसे आवास के अनुरक्षण के संबंध में भारखण्ड विधान-मंडल के अध्यक्ष पर अनितर रूप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा ।

3. ઇસ ધારા કે અધીન ઉપબંધિત આવાસ કો સુસજ્જિત ઓર અનુરક્ષિત કરને કા ખર્ચ ઉસ પૈમાને પર ઓર ઉન આધિક સીમાઓને ભૌતર હોયા જો રાજ્ય સરકાર નિયમો દ્વારા નિર્ધારિત કરે।

**સ્પષ્ટીકરણ :** ઇસ ધારા કે પ્રયોજનાર્થ “આવાસ” કે અન્તર્ગત સ્ટોંક ક્વાંટર ઓર ઉસે સંબંધ અન્ય ભવન તથા ઉસે વાગીચે ભી હેં ઓર આવાસ સે સંબંધ અનુરક્ષણ” કે અન્તર્ગત સ્થાનોથ કરોં એવં અન્ય કરોં કે ભૂગતાન તથા વિવૃત શક્તિ ઓર જલ કો આપૂર્તિ માં સમ્મિલિત હૈ।

#### IX. ઉપાયક કા નિવાસ—

1. ફારલણ વિધાન-મંડલ કા ઉપાયક કિરાયા દિન વિના નિર્મલિલિત કે ઉપયોગ કરને કે દ્વકદાદ હોયા :

(ક) ર્ધીઓ મેં ઘપની પૂરી પદાવધિ તક ઓર ઉસે ઠીક બાદ પન્દ્રહ દિનોની અવધિ તક એક સુસજ્જિત આવાસ કો ઉપયોગ કરને કે દ્વકદાર હોયા :

(લ) કિસી અન્ય સ્થાન પર જહાં ફારલણ રાજ્ય કે વિધાન-મંડલ કા સત્ત્ર આયોજિત હો, ઉસે દૌરાન, ઓર સત્ત્ર કે પૂર્વ એક સપ્તાહ ઓર બાદ મેં એક સપ્તાહ સે અધિક અવધિ કે લિએ એક સુસજ્જિત નિવાસ અથવા એસે નિવાસ કે બદલે પ્રતિમાહ એક સૌ રૂપયે કો દર સે જાવાસ ભત્તા દેય હોયા :

2. ઇસ ધારા કે અધીન ઉપબંધિત કિસી નિવાસ કે અનુરક્ષણ કે કંબંધ મેં ફારલણ વિધાન-મંડલ કે ઉપાયક પર વ્યક્તિગત રૂપ સે કોઈ પ્રમાર નહીં વહેયા ।

3. ઇસ ધારા કે અધીન ઉપબંધિત નિવાસ કો સાજ-સજજા ઓર અનુરક્ષણ પર એસે પૈમાને ઓર એસી વિત્તીય સીમાઓને કે અધીન ખર્ચ કિયા જાયા જો રાજ્ય સરકાર નિયમો દ્વારા અવધારિત કરે।

**સ્પષ્ટીકરણ :** ઇસ ધારા કે પ્રયોજનાર્થ “આવાસ” કે અન્તર્ગત સ્ટોંક ક્વાંટર ઓર ઉસે સંબંધ અન્ય ભવન તથા ઉસે વાગીચે ભી હેં ઓર આવાસ સે સંબંધ અનુરક્ષણ” કે અન્તર્ગત સ્થાનોથ કરોં એવં અન્ય કરોં કે ભૂગતાન તથા વિવૃત શક્તિ ઓર જલ કો આપૂર્તિ સમ્મિલિત હૈ।

X. રાજ્ય વિધાન-મંડલ કે પદાવધિકારિયોનો નિયુક્તિ આદિ સે સંબંધિત અધિસૂચનાએ જો ઉસે નિશ્ચાયક સાક્ષી હોયા :

જિસ તારીખ કો કોઈ વ્યક્તિ ધારા-2 મેં નિર્દિષ્ટ રાજ્ય વિધાન-મંડલ કે પદાવધિકારી હો જાય યા પદાવધિકારી ન રહ જાય, ઉસે રાજપત્ર મેં પ્રકારિત કિયા જાયા ઓર એસી કોઈ વધિસૂચના ઇસ તથા નિયુક્તિ સાક્ષી નાથી કિ અધિનિયમ કે પ્રયોજનાર્થ ઉસ તારીખ કો રાજ્ય વિધાન મંડલ કે પદાવધિકારી હુઘા યા પદાવધિકારી નહીં રહ ગયા ।

#### XI. નિયમ બનાને કો શક્તિ--

1. રાજ્ય સરકાર રાજપત્ર મેં અધિસૂચના દ્વારા ઇસ અધિનિયમ કે ઉભબન્ધોનો કો કાર્યાન્વિત કરને કે પ્રયોજનાર્થ નિયમ બના સકેયો ।

2. ચિશિષ્ટા: ઓર પૂર્વવર્તી નોંધોનો ની વરાનાની ની પ્રાથી પ્રમાર ડાલે બિના રાજ્ય સરકાર વિમિન પ્રકાર કે ભત્તે કો અવધારિત કરને હેતુ નિયમ બના સકેયો :

(ક) ઉક્ત અધિનિયમ કો ધારા-2 મેં ઉલ્લિલિત રાજ્ય વિધાન-મંડલ કે પદાવધિકારિયોનો મોટરકાર ખરીદને કે નિએ અધ્રિમ તથા સરકારી ભત્તા કો દિયા જાનાયા ।

(લ) ઉક્ત અધિનિયમ કો ધારા-2 મેં ઉલ્લિલિત રાજ્ય વિધાન મંડલ કે પદાવધિકારિયોનો યાત્રા ઓર દૈનિક ભત્તા ।

(ગ) ઉક્ત અધિનિયમ કો ધારા-2 મેં ઉલ્લિલિત રાજ્ય વિધાન મંડલ કે પદાવધિકારિયોનો જીત્રોય ભત્તા ।

(घ) उक्त अधिनियम की धारा-2 में उल्लिखित राज्य विधान-मंडल के पदाधिकारियों को सत्कार भत्ता।

(ङ) अन्य भत्ते।

3. इस बारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीत्र, राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो कमवर्ती सत्र समाविष्ट हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठोक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किर भी ऐसा कोई उपान्तरण या बातलोकरण उस नियम के अधीन पहुँचे की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जिना होगा।

भारत राज्यपाल के द्वादेश से,  
रामायण पाण्डेय,  
सरकार के सचिव।



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 382

11 अग्रहायण 1925 शकाब्द  
रँची, मंगलवार 2 दिसम्बर, 2003

### विधि (विधान) विभाग

#### अधिसूचना

2 दिसम्बर, 2003

संख्या-एल०जी०-11/2003-52 लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल 28 नवम्बर, 2003 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

**झारखण्ड विधान-मंडल के  
पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003**  
[झारखण्ड अधिनियम 11, 2003]

झारखण्ड विधान-मंडल, पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 54वें (चौकवनवें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ --  
;
  - (i) यह झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।
  - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
  - (iii) यह अधिनियम दिनांक 16 सितम्बर, 2002 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या-01, 2001) की धारा-IV का संशोधन-(1) झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम 2001 (झारखण्ड अधिनियम 01, 2001) में प्रयुक्त शब्द 'दैनिक भत्ता' के स्थान पर शब्द 'प्रभारी भत्ता' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
3. झारखण्ड अधिनियम, 01, 2001 की धारा-VII का संशोधन --
- झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम 2001 की धारा-VII में विधान-मंडल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष 'चिकित्सा भत्ता' के रूप में, के पश्चात् शब्द 'प्रतिमाह' समाविष्ट किया जायेगा ।
4. निरसन एवं व्यावृत्ति -- (1) झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (झारखण्ड अध्यादेश, 03, 2003) के द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,  
सुरेश प्रसाद 'सिन्हा,'  
प्रकार के प्रभारी सचिव,  
विधि (विधान) विभाग,  
झारखण्ड, राँची ।



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 103

8 फाल्गुन, 1927 शकाब्द  
रौची, सोमवार 27 फरवरी, 2006

### विधि (विधान) विभाग

#### अधिसूचना

27 फरवरी, 2006

संख्या-एल०जी०-८/२००१-३५/लेज०--झारखण्ड विधान मण्डल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

### झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2005

[झारखण्ड अधिनियम 11, 2006]

#### झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001

झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का अवधारण करने के लिए अधिनियम:-

भारत गणराज्य के छप्पनबंद वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

- (i) यह झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम-01 की धारा-IV का संशोधनः—झारखण्ड विधान मण्डल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) की धारा IV के द्वितीय पंक्ति में शब्द समूह जोड़े जायेंगे ।  
 “हवाई यात्रा एवं जलपोत से यात्रा करने के समय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी ।”
3. झारखण्ड अधिनियम-2001 (अधिनियम संख्या-01, 2001) की धारा-(V) का संशोधनः—झारखण्ड विधान मण्डल पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) में क्षेत्रीय भत्ता में परिवर्तन कर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए “4000/- (चार हजार) रु०” के स्थान पर “8000/- (आठ हजार) रु०” प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
4. झारखण्ड अधिनियम-01, 2001 की धारा-VI कंडिका-'क' एवं 'ख' का संशोधनः—झारखण्ड विधान मण्डल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) की धारा-VI की कंडिका-'क' में अंक “8,000/- (आठ हजार)” रुपये के स्थान पर “11,000/- (ग्यारह हजार)” रुपये एवं धारा-VI की कंडिका-'ख' में अंक “5,000/- (पाँच हजार)” रुपये के स्थान पर “8,000/- (आठ हजार)” रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
5. झारखण्ड विधान मण्डल पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) की धारा-VII में (यथा संशोधित द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2002, झारखण्ड अधिनियम-15, 2002) की धारा-VII में “विधान-मण्डल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को चिकित्सा भत्ता के रूप में “2000/- (दो हजार) रु०” के स्थान पर “3000/- (तीन हजार) रु०” प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम बिलाश गुप्ता,  
 सरकार के सचिव,  
 विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

-----